



दूरभाष : 07774-261609, 7747032999

Telephone : 07774-261609, 7747032999

फैक्स : 07774-261630

Fax : 07774-261630

E-mail : sainikschoolambikapur@rediffmail.com

Website : www.sainikschoolambikapur.org.in

सैनिक स्कूल अम्बिकापुर

(रक्षा मंत्रालय के अधीन संचालित)

Sainik School Ambikapur

(Under the aegis of **Ministry of Defence**)

मेण्ड्राकलां, Mendra Kalan

जिला – सरगुजा (छत्तीसगढ़)

Dist – Surguja (Chhattisgarh)

पिन कोड – 497 001

PIN Code – 497 001

SSAP/Est/Parent Corrsp/1018/0753

27 अगस्त 2019

अभिभावकों के लिए आवश्यक सलाह एवं निर्देश

प्रिय अभिभावकगण,

1. सैनिक स्कूल अम्बिकापुर, सैनिक स्कूल सोसाइटी, रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित केवल बालकों के लिए पूर्णतः आवासिय विद्यालय है। जिसका एकमात्र उद्देश्य कैंडेटों को शारीरिक, मानसिक एवं शैक्षणिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) एवं अन्य रक्षा अकादमियों में प्रवेश दिलाना है। ज्ञात हो कि सैनिक स्कूल एवं सैन्य संस्थानों में कैंडेटों के विकास के लिए अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण होता है। अनुशासन से सभी कार्य नियमानुसार समय पर पूरे करके निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

2. सैनिक स्कूल अम्बिकापुर में भी अनुशासन को सर्वोपरी रखा जाता है, जिसका पालन कैंडेटों एवं कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है तथा अभिभावकों से भी अपेक्षा की जाती है कि वे भी स्कूल के नियमों का अनुकरण कर अनुशासन का पालन करेंगे। परन्तु, निरीक्षण करने पर ज्ञात हुआ है कि अभिभावकगण अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं एवं निम्न कार्यों द्वारा स्कूल के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं :-

(क) स्कूल प्रशासन द्वारा निर्धारित समय के अलावा भी बिना किसी पूर्व सूचना के कैंडेटों से मिलने आना। कार्यालयिन दिवसों के अलावा रविवार/शासकीय अवकाश वाले दिन भी कैंडेट की छुट्टी हेतु आना/छुट्टी पश्चात रिपोर्ट करना।

(ख) कैंडेटों को खाद्य सामग्री, पैसे तथा मोबाईल फोन आदि प्रतिबंधित सामग्री प्रदान करना।

(ग) स्कूल आने पर निर्धारित स्थान के बजाये कहीं पर भी बेतरतीब रूप से वाहनों को पार्किंग करना एवं खाद्य सामग्रियों के कचरे को डस्टबीन में ना डालना।

(घ) हॉस्टलों एवं प्रतिबंधित क्षेत्रों में अनाधिकृत प्रवेश करना।

(ङ) बिना सूचना किसी कार्यालयिन कार्य के लिए स्कूल आना एवं कार्य कराने हेतु दबाव बनाना।

कृ.पू.उ.

3. अभिभावकों के उक्त अनुशासनहीन रवैये के कारण स्कूल के द्वारा पूर्व निर्धारित शैक्षणिक एवं कार्यालयिन कार्यायाकलापों को पूर्ण करने में कठिनाईयाँ होती है एवं स्कूल के सुचारु संचालन में गतिरोध उत्पन्न होता है ।

4. उपरोक्त बिन्दुओं ध्यान में रखते हुए अभिभावकों से अनुरोध है कि कृपया निम्न नियमों का गंभीरता से अवलोकन करें :-

(क) स्कूल प्रशासन द्वारा निर्धारित समय के अलावा कैडेटों से मिलने आने से बचें एवं अति आवश्यक होने पर संबंधित कर्मचारियों/विभागों को सूचना देने के पश्चात अनुमति मिलने पर ही स्कूल आयें। ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधाओं का सामना ना करना पड़े। कैडेटों से मिलने आने के लिए निर्धारित समय के बारे में पूर्व में ही सूचना दे दी जायेगी।

(ख) कृपया कैडेट की किसी भी प्रकार की छुट्टी के लिए कार्यालयिन दिवसों पर ही आयें, रविवार/शासकीय अवकाश वाले दिन कैडेट की छुट्टी मान्य नहीं की जायेगी। छुट्टी के पश्चात कैडेट की रिपोर्टिंग भी कार्यालयिन दिवसों पर ही करें। रविवार/शासकीय अवकाश वाले दिन कैडेट को रिपोर्टिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(ग) कैडेटों को किसी भी प्रकार के खाद्य सामग्री, अतिरिक्त पैसे तथा मोबाईल फोन आदि प्रदान ना करें। इससे उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है एवं उनके पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होता है। ये सभी स्कूल में प्रतिबंधित हैं एवं कैडेटों के पास मिलने पर उन्हें जब्त कर नष्ट कर दिया जायेगा। स्कूल में संपर्क हेतु एसटीडी एवं प्रत्येक हॉस्टल में फोन की सुविधा है कृपया उनका समुचित प्रयोग करें।

(घ) स्कूल परिसर में खाद्य सामग्री लेकर आना प्रतिबंधित है। कृपया स्कूल परिसर में खाद्य सामग्री लेकर ना आयें। किसी भी प्रकार के कचरे को डस्टबीन में ही डालें एवं स्कूल परिसर में स्वच्छता रखें।

(ङ) स्कूल आने पर निर्धारित स्थान पर ही वाहनों को रखें ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति निर्मित ना हो एवं स्कूल परिसर व्यवस्थित रहे।

(च) कैडेट हॉस्टल क्षेत्र एवं स्टॉफ क्वार्टर क्षेत्र अभिभावकों के लिए प्रतिबंधित है।

(छ) यदि स्कूल कार्यालयों में किसी प्रकार का कार्यालयिन कार्य हो तो संबंधित कार्यालय को सूचित करने एवं कार्यालय द्वारा अनुमति प्रदान करने पर निर्धारित समय पर ही आयें। ताकि आपको अनावश्यक प्रतीक्षा ना करना पड़े एवं कार्यालय में भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो।

5. अभिभावकों से अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त नियमों का गंभीरता से पालन करें ताकि स्कूल के सुचारु संचालन में किसी भी प्रकार का व्यवधान ना हो एवं अभिभावकों तथा कैडेटों को भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो। सूचनार्थ संप्रेषित ।



Done 27 Aug 19
(प्रसून कान्ति गोस्वामी)
लेफ्टिनेंट कर्नल
उप प्राचार्य
प्राचार्य कृते